कार्यालय– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान–उरई।

पत्रांक – मीमो/जिविसेप्रा0/2026/विशेष–लोकअदालत , दिनांक– 01.05.2026

विज्ञप्ति

समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक–21, 22 व 23 अगस्त 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोकअदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोकअदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के दिशा–निर्देशन में जिला न्यायालय जालौन स्थान– उरई में किया जाना है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित प्रकरणों के अधिकाधिक मामलों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है।

इस आशय की जानकारी देते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती शाम्भवी प्रथम द्वारा बताया गया कि न्याय को सरल एवं सुलभ तरीक से घर.घर तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ किया जा रहा है जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी।

विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को होगी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल किया जायेगा। विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य/जिला/तालुका/उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जायेगा। इस सुलह वार्ता का आयोजन 21 अप्रैल 2026 को समाधान समारोह के आरम्भ के साथ शुरु हो गया है। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है।

उन्होंने यह भी बताया कि अधिवक्तागण/ वादकारियों तथा अन्य सभी सम्बंधित पक्षों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है। 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ हो रहे समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया जायेगा। इन सुलह.बैठकों का आयोजन राज्य/जिला/तालुका/उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार/समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ तथा/ अथवा सचिव विधिक सेवा प्राधिकार समिति पक्षकारों की मदद करेंगे। पक्षकार इन सुलह.प्रयास हेतु बैठकों /वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी रूप से शामिल हो सकते हैं।

अपने मामले (जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है) को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) में कैसे शामिल करें।

इस वास्ते गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। इस गूगल फॉर्म को भरना अत्यंत सरल है। इसे भरकर अपने मामले को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल किया जा सकता है। यह गूगल फॉर्म माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है ।

गूगल फॉर्म लिंक. **https://forms.gle/pRWbif6wAPrcgMsZ8**
गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, 31 मई, 2026
हर प्रकार की सहायता/जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) हेतु बनाय गये वन स्टॉप सेन्टर (चार रूम) इंचार्ज का सम्पर्क नं.011.23115652, 011.23116464 सी. आर. पी निदेशक का सम्पर्क नं० .011.23115652, 011.23116465 वन स्टॉप सेन्टर (कक्ष संख्या 806 एवं 808,पी ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर, सर्वोच्च न्यायालय) लैण्डलाइन नं०.011. 23116464

इमेल . **specialllokadalat2026@sci.nic.in**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी

सचिव, 01/05/26
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन